

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्रतीकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 1994/चैत्र 8, 1916
No. 149] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 1994/CHAITRA 8, 1916

श्रम मंत्रालय

प्रधिमूलना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1994

का.आ. 263(भ).—आल श्रम (प्रतिपेद्र एवं विनियम) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त एकियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुमूली में निम्नलिखित जोड़ती है, अर्थात्:—

1. उक्त अधिनियम की अनुमूली में, भाग “क” में “व्यवसाय” शीर्षक के प्रत्यर्गत मद (6) के पश्चात् निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(7) वधशालाएं/बूचङ्गवाने।

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची में, भाग द्व में, “संक्रियाएं” शीर्षक के अन्तर्गत, मद संख्या 14 के पश्चात्, निम्नलिखित मर्द और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“(15) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 (ग ख), में यथा परिभासित “जोखिमकारी संक्रियाएं” तथा धारा 87 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में यथा अधिसूचित “खतरनाक संक्रियाएं”।

(16) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2(ट) (IV) में यथा परिभासित मुद्रण।

(17) काजू तथा काजूगिरी छिलाई और प्रसंस्करण।

(18) इलेक्ट्रानिक उद्योगों में टाका लगाने संबंधी संक्रियाएं।

[फा. सं. एस-27019/2/92-सी.एल.]

उपमा श्रीवास्तव, अधिकारी सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1994

S.O. 263(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), the Central Government hereby make the following additions to the schedule to the said Act, namely :—

(1) In the Schedule to the said Act, in Part A, under the heading ‘Occupations’, after item (6), the following item shall be inserted, namely :—

(7) Abattoirs/ Slaughter Houses.

(2) In the Schedule to the said Act, in Part B, under the heading ‘Processes’, after item (14), following items and entries shall be inserted, namely :—

“(15) Hazardous processes” as defined in Section 2(cb) and ‘dangerous operations’ as notified in rules made under section 87 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948).

